क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कार्यरत कर्मी	जारी राशि	कुल खर्च (मार्च 98)
23.	त्रिपुरा	9	2.53	3.67
24.	उत्तर प्रदेश	85	27.24	38.86
25.	प० बंगाल	66	21.33	35.38
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.92	1.24
27.	दादरा और नगर हवेली	2	1.00	0.16
28.	दमन और दिव	1	0.23	0.00
29.	लक्ष्यद्वीप	1	0.25	0.00
30.	पांडीचेरी	6	2.11	1.60
	कुल योग	920	317.99	491.62

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं के स्थानान्तरण संबंधी मानदंड

1692. **श्री दिलीप सिंह भूरिया:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नार्थ एवेन्यू स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के संबंध में निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) ऐसे अभियन्ताओं की संख्या कितनी है जो गत दस-बारह वर्षों से वहां तैनात है और उनकी तैनाती के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अभियन्ताओं को तत्काल स्थानान्तरित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक इंजीनियरों को सामान्यतः फील्ड और आयोजना पदों पर क्रमशः 4 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि पूरा करने पर क्रमानुक्रम में तैनात किया जाता है। कनिष्ठ इंजीनियरों का सामान्यतः 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। नार्थ एवेन्यू सर्विस सेन्टर के लिए भी यही मानदण्ड है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई सहायक इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर नहीं है।

Hyderabad—Secunderabad as a Composite Metropolitan

1693. **SHRI P. PRABHAKAR REDDY:** Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to declare the twin cities of Hyderabad-Secunderabad as a composite metropolitan city;

(b) if so, the details thereof and the benefits that will accure to the people of this city as a result thereof;

(c) by when this announcement is likely to be made; and

(d) if answer to part (a) above be in negative, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JATHMALANI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

महानगरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग

1694. **श्री बरजिन्दर सिंह:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितने महानगर हैं और उनमें जिनके प्रतिनिधि लोग इन नगरों में गंदी बस्तियों में रहते हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कोई परियोजनायें तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जायेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मैक्षालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, नहीं। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने महानगर, (मैट्रो) शहरों में स्लम आबादी मालूम करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है तथापि, 1991 की जनगणना के आधार पर नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के आंकलन के अनुसार, 23 पहचाने गए महानगर (मैट्रो) शहरों में कथित 26.6% स्लम-बासी रह रहे हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने शहरी लोगों के जिनमें झुग्गी/झोंपड़ी को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पहुंच सकने के लिए अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर दी थी।

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के लिए योजना आयोग ने 350 करोड़ रु० आवंटित किए हैं।

Fraudulent practices by eminent builders in capital

1695. SHRI PARAG CHALIAHA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of many a fraudulent practices indulged in by even eminent builders in the Capital; and

(b) if so, the steps taken/contemplated to put a full stop thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) Instances of cheating by some builders in the Capital have been highlighted in the representations addressed to the Government from time to time.

(b) The cases against the dishonest builders can be filed under Consumer Protection Act 1986 and also under the Indian Penal Code and action is taken against the persons indulging in fraudulent practices as per due process of law.

A proposal to enact a legislation to control and regulate the activities of promoters & estate agents in the Capital is also one of the measures intended to curb such malpractices.

गुजरात और महाराष्ट्र में शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटन

1696. श्री जीवनभाई इदरीयाई कुंवरजी: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में धनराशि के आवंटन के प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार धनराशि के आवंटन को कब तक अंतिम रूप देने का विचार रखती है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) योजना आयोग ने गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के शहरी विकास, आवास (पुलिस आवास), जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रों के लिए नौवीं योजना (1997—2002) राज्य क्षेत्र परिव्यय निम्नलिखित अनुसार अनुमोदित किया है।